

48

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश,



श्रीमान

R 2762-I/12

श्री एस. वि. गुप्ता  
को 28/8/12  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

§ 18 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी आठ स्व० श्री अनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 34 वर्ष

§ 28 लालजी तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष ।

§ 38 संतोष प्रसाद तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 29 वर्ष ।

§ 48 मिठाईलाल तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 24 वर्ष ।

§ 58 राजेश प्रसाद तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 22 वर्ष ।

§ 68 रमाकांत तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 20 वर्ष ।

§ 78 देवेन्द्र प्रसाद तिवारी आठ स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 18 वर्ष ।

§ 88 श्री मती इन्द्रवती तिवारी पत्नी स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 54 वर्ष । सभी निवासी मीरा गोलहटा तह० कोर जिला सतना म० प्र०-

§ 98 श्री मती बूटन त्रिपाठी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्री स्व० श्री आनंदा प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष । निवासी जमुशानी तह० बिरसिंहपुर

जिला सतना म० प्र० ----- निगराकार गर्भ

बनाम

पल्लवि  
28/8/12  
श्रीमान

§ 18 हेमराज सिंह आठ श्री रामकरण सिंह कुमवंशी उम्र 42 वर्ष वेशा डेती निवासी मीरा गोलहटा तह० कोर जिला सतना म० प्र०,

§ 28 शंकर म० प्र० ----- देर निराजत नर

श्रीमलाल त्रिपाठी  
एप्रकोर  
मो. 842887382  
फै. 1017/88

राजेश तिवारी

निरानी अर्जत धारा 50 म० प्र० गनुन मति

इदरवकी

11/11

निगरानी विभाग, आदेश दिनांक 5.7.012

पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार

तहसील कोट जिला सतना म० प्र०, जरिये प्रकरण

क्रमांक 623112/011-012,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

§ 18 यह कि रेस्पॉन्डेंट नं० 1 में मात्र मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर धारा 129 म० प्र० कानून मॉल के तहत सीमांकन के संबन्ध में मौजा गोलहटा की आराजी नं० 1/1, 1/2, 1/3, 3/1/2, 3/1/1, 4/1 किता 6 जुमला रकवां 4.54 एकड़, के संबन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उक्त कार्यवाही में निगराकार गण को पक्षकार नहीं बनाया गया, निगराकार गण के पिता आनंदी प्रसाद अत्यन्त बीमार थे, और अस्पताल में तथा छोट में पड़े थे, और उनकी मृत्यु दिनांक 10.7.012 को हो गयी थी, निगराकार के पिता एवं निगराकार गण को पक्षकार नहीं बनाया गया था, और सूचना निगराकार को नहीं दी गयी, बिना सूचना दिये, अवैधानिक रूप से सारी सीमांकन की कार्यवाही करायी, साथ ही नक्शा तरमिम की कार्यवाही एक साथ करा लिया, जबकि निगराकार के पिता धारा 129 म० प्र० कानून मॉल के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होगा, कि एक चौहद्दी कास्तकार थे, चौहद्दी कास्तकार होने के नाते सूचना निश्चित तौर पर दी जानी चाहिये थी, लेकिन बिना सूचना दिये, सारी कार्यवाही की गयी है।

§ 2 यह कि सीमांकन में आनंदी प्रसाद में आपत्ति प्रस्तुत की थी, कि

बिवादित आराजी का यानी आराजी नं० 3/2 रकवां 0.81 एकड़, 4/2

आराजी नं० 0.66 एकड़, मौजा गोलहटा का स्वामी हैं, पैक्री आराजी हैं, तथा

राजेश निवारी

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2762-एक/12

जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/04/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कोटर के प्रकरण क्र. 62/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	